

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान में अनुपयोगी साज—सज्जा /मशीन/फर्नीचर/विभिन्न स्कैप इत्यादि की (जहाँ है जैसा के आधार पर) सार्वजनिक नीलामी की जीनी है। नीलामी संस्थान में दिनांक—16.09.2016 का नीलामी समिति के समक्ष अपराह्न 1:00 बजे निम्न शर्तों के अधीन की जायेगी ।

शर्तें एवं नियम निम्नवत है :-

- 1— इच्छुक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व धरोहर धनराशि रुपये 10000 /— (दस हजार) नगद जो की रिफण्डेवल होगा संस्थान के कैशियर के पास जमा करानी होगी।
- 2— नीलामी में सम्मिलित प्रत्येक बोलीदाताओ को फर्म का टिन न0, पैन न0 एवं चरित्र पमाण पत्र (जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त) धरोहर धनराशि जमा करते समय अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- 3— निष्प्रयोज्य सामग्री का निरीक्षण संस्थान परिसर में नीलामी तिथि से तीन दिन पूर्व से प्रातः 10:00 से 01:00 तक कर सकते है।
- 4— नीलामी समाप्त होने के पश्चात अन्तिम बोलीदाता तुरन्त उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को सम्मिलित करते हुये) संस्थान के कैशियर के पास जमा कराना होगा। नही जमा करने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त करली जायेगी।
- 5— अन्तिम नीलामी बोली का शेष 75 प्रतिशत धन राशि तथा बिक्री कर एवं अन्य कर नीलामी प्रक्रिया का निदेशक महोदय से अनुमोदन प्राप्त होने के दस दिन के अन्दर संस्थान में जमा करना होगा। उक्त धनराशि नही जमा करने की स्थिति में पूर्व में जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 6— नीलामी की बस्तुओं का विलम्बत् 10 दिन के अन्दर संस्थान के भण्डार से स्वयं के व्यय पर उठाना होगा। 10 दिन के भीतर न उठाने की दशा में निर्धारित दर से भण्डार के कक्षों का किराया बसूला जायेगा।
- 7— उच्चतम नीलामी बोली के अतिरिक्त नियमानुसार बिक्री एवं अन्य कर अलग से वसूला जायेगा।
- 8— बिना कारण बताये नीलामी को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
- 9— नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रकार का अस्त्र—शस्त्र संस्थान परिसर में लाना पूर्णतः प्रतिबन्ध है।
- 10— समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र पीलीभीत को होगा।
- 11— यह सूचना www.pilibhit.nic.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध रहेगी।